

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- I. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- II. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- III. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- IV. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 16 मार्च, 2024

विषय- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के त्वरित समाधान कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के त्वरित समाधान विषयक शासनादेश संख्या-1105/छिहत्तर-1-2023-6सम/2017 दिनांक 16 मार्च, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु प्रत्येक जनपद में नोडल अधिकारी नामित किये जाने, कन्ट्रोल रूम स्थापित करने तथा प्रशासनिक मशीनरी को लगातार अलर्ट किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं।

2- वर्तमान वर्ष में ग्रीष्म ऋतु के आगमन के दृष्टिगत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के त्वरित समाधान हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की गम्भीर समस्या वाले क्षेत्रों, विशेषकर बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त 07 जनपदों यथा- झांसी, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट तथा बुन्देलखण्ड जैसे भौगोलिक स्थिति वाले प्रदेश के अन्य जनपद यथा- सोनभद्र, मीरजापुर, आगरा, फतेहपुर, चन्दौली, कानपुर देहात, कानपुर नगर, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फिरोजाबाद तथा मथुरा सहित ऐसे जनपदों, जहां ग्रीष्म ऋतु में पेयजल का संकट उत्पन्न हो सकता है, में पेयजल व्यवस्था हेतु निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

- I. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या के त्वरित समाधान हेतु यह अत्यन्त आवश्यक है कि समस्त जनपदों में उपलब्ध पेयजल स्रोतों इण्डिया मार्क-11 हैण्डपम्पो / स्थापित पाइप पेयजल योजनाओं/टैंक टाइप स्टैंड पोस्ट आदि को सुचारु रूप से संचालित कराते हुए ग्रामीण आबादी को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय।

I/522149/2024

- II. समस्त जनपदों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के त्वरित समाधान हेतु जनपद स्तरीय सम्बन्धित प्रशासनिक मशीनरी को 24 घंटे 'एलर्ट' पर रखा जाए, ताकि पेयजल की समस्या के समाधान हेतु मशीनरी सक्रिय रूप से कार्यवाही सुनिश्चित कर सके।
- III. प्रदेश के समस्त जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या की सूचना जनता से प्राप्त करने एवं प्राप्त सूचना के आधार पर पेयजल समस्या के त्वरित समाधान हेतु जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित कर, कन्ट्रोल रूम स्थापित कराया जाए, जिसे जनपद के तहसीलों / विकास खण्डों/ग्राम पंचायतों से प्रभावी रूप से जोड़ दिया जाय। जनपद स्तर के नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर एवं कन्ट्रोल रूम के लैण्ड लाइन / मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से तहसीलों/ विकास खण्डों/ग्राम पंचायतों आदि में प्रसारित कराया जाए।
- IV. सभी खराब हैण्डपम्पों को तत्काल ठीक करा दिए जाए, पर्याप्त संख्या में प्याऊ की व्यवस्था कराई जाए तथा सभी सरकारी एवं सार्वजनिक परिसरों यथा- कलेक्ट्रेट, तहसील, थाना, अस्पताल इत्यादि में घड़े/प्याऊ रखवाकर अथवा अन्य व्यवस्था कराकर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा हैण्डपम्प के साथ चरही भी बनवाई जाय। यह भी सुनिश्चित करें कि घड़े/ प्याऊ की यह व्यवस्था जनसामान्य को सुलभ रूप से उपलब्ध हो सकें।
- V. प्रदेश में स्थापित पाइप पेयजल योजनाओं को नियमित रूप से संचालित रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
- VI. उपरोक्त व्यवस्थाओं के माध्यम से जिन लोगों के घरों तक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पा रही हो, उनके घरों तक पूर्व वर्षों की भांति टैंकर के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाय। वांछित टैंकरों की आवश्यकता का आंकलन कर लिया जाए एवं उपलब्ध टैंकरों को ड्राइवरों के साथ लिंक कर सूचीबद्ध कर लिया जाय।
उपर्युक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण कराते हुए जनपदवार कार्य योजना दिनांक 28.03.2024 तक पूर्ण कराकर तदनुसार अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ०प्र० लखनऊ के दूरभाष नम्बर-0522-2239448 पर सूचित करते हुए सूचना ई-मेल आई०डी०- ed.swsmup@rediffmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- VII. जनपद स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम का विवरण / दूरभाष नम्बर, नामित नोडल अधिकारी का नाम / पदनाम / कार्यालय का विवरण व मोबाइल नम्बर, अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के ई-मेल आई०डी०- (ed.swsmup@rediffmail.com, ed.jjmup @gmail.com) पर उपलब्ध कराया जाये।
- VIII. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु किसी भिन्न अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करते

I/522149/2024

हुए जनपदों से प्राप्त सूचनाओं को संकलित कर प्रतिदिन शासन को अपरान्ह 4:00 बजे तक उपलब्ध कराया जाए।

- IX. जनपदों में नामित नोडल अधिकारी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से पेयजल समस्या सम्बन्धी प्राप्त समस्त शिकायतों को एक रजिस्टर में दर्ज कराते हुए प्रतिदिन प्राप्त शिकायतों की सूचना निम्नलिखित प्रारूप पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के ई-मेल (ed.swsmup@rediffmail.com) पर उपलब्ध कराई जाए:-

क्र.सं.	शिकायत कर्ता का नाम/पता	शिकायत का दिनांक	शिकायत कर्ता का मोबाइल नम्बर	शिकायत पर की गयी कार्यवाही का विवरण	शिकायत का निस्तारण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

भवदीय,

Digitally Signed by अनुराग
श्रीवास्तव
Date: 15-03-2024 18:40:40
Reason: Approved

संख्या- 10 /2024/878(1)/छिहत्तर-1-2024-6सम/2017. तद्विनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, जल शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, जल शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला विकास अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी(द्वारा जिलाधिकारी)।
7. मुख्य अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- I. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- II. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- III. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- IV. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 16 मार्च, 2024

विषय- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के त्वरित समाधान कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के त्वरित समाधान विषयक शासनादेश संख्या-1105/छिहत्तर-1-2023-6सम/2017 दिनांक 16 मार्च, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु प्रत्येक जनपद में नोडल अधिकारी नामित किये जाने, कन्ट्रोल रूम स्थापित करने तथा प्रशासनिक मशीनरी को लगातार अलर्ट किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं।

2- वर्तमान वर्ष में ग्रीष्म ऋतु के आगमन के दृष्टिगत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के त्वरित समाधान हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की गम्भीर समस्या वाले क्षेत्रों, विशेषकर बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त 07 जनपदों यथा- झांसी, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट तथा बुन्देलखण्ड जैसे भौगोलिक स्थिति वाले प्रदेश के अन्य जनपद यथा- सोनभद्र, मीरजापुर, आगरा, फतेहपुर, चन्दौली, कानपुर देहात, कानपुर नगर, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फिरोजाबाद तथा मथुरा सहित ऐसे जनपदों, जहां ग्रीष्म ऋतु में पेयजल का संकट उत्पन्न हो सकता है, में पेयजल व्यवस्था हेतु निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

- I. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या के त्वरित समाधान हेतु यह अत्यन्त आवश्यक है कि समस्त जनपदों में उपलब्ध पेयजल स्रोतों इण्डिया मार्क-11 हैण्डपम्पों / स्थापित पाइप पेयजल योजनाओं/टैंक टाइप स्टैंड पोस्ट आदि को सुचारु रूप से संचालित कराते हुए ग्रामीण आबादी को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय।

I/522157/2024

- II. समस्त जनपदों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के त्वरित समाधान हेतु जनपद स्तरीय सम्बन्धित प्रशासनिक मशीनरी को 24 घंटे 'एलर्ट' पर रखा जाए, ताकि पेयजल की समस्या के समाधान हेतु मशीनरी सक्रिय रूप से कार्यवाही सुनिश्चित कर सके।
- III. प्रदेश के समस्त जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या की सूचना जनता से प्राप्त करने एवं प्राप्त सूचना के आधार पर पेयजल समस्या के त्वरित समाधान हेतु जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित कर, कन्ट्रोल रूम स्थापित कराया जाए, जिसे जनपद के तहसीलों / विकास खण्डों/ग्राम पंचायतों से प्रभावी रूप से जोड़ दिया जाय। जनपद स्तर के नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर एवं कन्ट्रोल रूम के लैण्ड लाइन / मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से तहसीलों/ विकास खण्डों/ग्राम पंचायतों आदि में प्रसारित कराया जाए।
- IV. सभी खराब हैण्डपम्पों को तत्काल ठीक करा दिए जाए, पर्याप्त संख्या में प्याऊ की व्यवस्था कराई जाए तथा सभी सरकारी एवं सार्वजनिक परिसरों यथा- कलेक्ट्रेट, तहसील, थाना, अस्पताल इत्यादि में घड़े/प्याऊ रखवाकर अथवा अन्य व्यवस्था कराकर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा हैण्डपम्प के साथ चरही भी बनवाई जाय। यह भी सुनिश्चित करें कि घड़े/ प्याऊ की यह व्यवस्था जनसामान्य को सुलभ रूप से उपलब्ध हो सकें।
- V. प्रदेश में स्थापित पाइप पेयजल योजनाओं को नियमित रूप से संचालित रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
- VI. उपरोक्त व्यवस्थाओं के माध्यम से जिन लोगों के घरों तक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पा रही हो, उनके घरों तक पूर्व वर्षों की भांति टैंकर के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाय। वांछित टैंकरों की आवश्यकता का आंकलन कर लिया जाए एवं उपलब्ध टैंकरों को ड्राइवरों के साथ लिंक कर सूचीबद्ध कर लिया जाय।
उपर्युक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण कराते हुए जनपदवार कार्य योजना दिनांक 28.03.2024 तक पूर्ण कराकर तदनुसार अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ०प्र० लखनऊ के दूरभाष नम्बर-0522-2239448 पर सूचित करते हुए सूचना ई-मेल आई०डी०- ed.swsmup@rediffmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- VII. जनपद स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम का विवरण / दूरभाष नम्बर, नामित नोडल अधिकारी का नाम / पदनाम / कार्यालय का विवरण व मोबाइल नम्बर, अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के ई-मेल आई०डी०- (ed.swsmup@rediffmail.com, ed.jjmup @gmail.com) पर उपलब्ध कराया जाये।
- VIII. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु किसी भिन्न अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करते

I/522157/2024

हुए जनपदों से प्राप्त सूचनाओं को संकलित कर प्रतिदिन शासन को अपरान्ह 4:00 बजे तक उपलब्ध कराया जाए।

- IX. जनपदों में नामित नोडल अधिकारी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से पेयजल समस्या सम्बन्धी प्राप्त समस्त शिकायतों को एक रजिस्टर में दर्ज कराते हुए प्रतिदिन प्राप्त शिकायतों की सूचना निम्नलिखित प्रारूप पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के ई-मेल (ed.swsmup@rediffmail.com) पर उपलब्ध कराई जाए:-

क्र.सं.	शिकायत कर्ता का नाम/पता	शिकायत का दिनांक	शिकायत कर्ता का मोबाइल नम्बर	शिकायत पर की गयी कार्यवाही का विवरण	शिकायत का निस्तारण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव।

संख्या- 10 /2024/878(1)/छिहतर-1-2024-6सम/2017. तद्विनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, जल शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, जल शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला विकास अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी(द्वारा जिलाधिकारी)।
7. मुख्य अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)

Digitally Signed by
अम्बरीष कुमार सिंह

Date: 16-03-2024 14:09:22

Reason: Approved